पक्षपातपूर्ण रवैया : राजभवन द्वारा वीटो का प्रयोग

द हिंदू

पेपर- II (भारतीय राजव्यवस्था)

तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयकों की मंजूरी रोके रखना और कुछ नहीं, बल्कि संवैधानिक जुल्म है। यह विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने या नहीं देने की संविधान-प्रदत्त शक्ति का गंभीर दुरुपयोग है। मंजूरी प्रदान करना राज्य के नाम-मात्र के प्रमुख का रोजमर्रा का काम है, और इसे रोके रखने की असाधारण शक्ति का अनुचित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, राजभवन में विराजमान व्यक्तियों को इस वीटो का विरले ही इस्तेमाल करना चाहिए और वह भी उसी सूरत में करना चाहिए जब संवैधानिक मूल्य खुल्लमखुल्ला दांव पर लगे हों। जिन विधेयकों के अनुमोदन से रवि ने इनकार किया है, वे राज्यपाल से कुलपतियों (वीसी) को नियुक्ति करने की शक्ति छीनना और उसे राज्य सरकार में निहित करना चाहते हैं। इन विधेयकों में राज्यपाल के नामंजूर करने लायक कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वह कुलाधिपति की हैसियत से मिली शक्तियों को बरकरार रखने के अपने निहित हित की रक्षा कर सकें। राज्यपाल के पास लंबित विधेयकों के अनुमोदन में उनके द्वारा देरी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल्कुल वाजिब टिप्पणी किये जाने के बाद, इन विधेयकों को खारिज करना चिढ़कर की गयी प्रतिक्रिया प्रतीत होती है। इस पर डीएमके सर. कार ने तुरंत विशेष सत्र बुलाया और उन्हीं विधेयकों को दोबारा अंगीकार किया। सवाल उठता है कि क्या यह इस विश्वास के तहत किया गया कि अगर उन्हीं विधेयकों को सदन द्वारा दोबारा विचार करके पारित किया जाता है, तो राज्यपाल उन्हें मंजूरी देने को बाध्य होंगे।

वैधानिक स्थिति यह है कि ये विधेयक कानून बन पाने में नाकाम हो गये हैं। अपने विधेयकों को खारिज किये जाने से खिन्न सदन के पास कोई संवैधानिक उपचार मौजूद नहीं है। अनुच्छेद 200 दूसरी बार पारित विधेयकों के लिए राज्यपाल की मंजूरी बाध्यकारी बनाता है। लेकिन यह प्रावधान उन विधेयकों पर लागू नहीं होता जिन्हें 'रोके रखा गया' हो, जिसका वास्तव में मतलब 'खारिज किया जाना' ही है। अगर सरकार इस स्थिति से वाकिफ थी और फिर भी उन्हें पुनः अंगीकार करने का साहस कर रही थी, तो शायद इसका मतलब यह राजनीतिक संदेश है कि वह अपने विधायी उपायों को आगे बढ़ाने के मामले में झुकेगी नहीं। उन्हें नये सिरे से पारित किये जाने के परिणामस्वरूप राज्यपाल उनके साथ नये विधेयकों की तरह सलूक कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह उन्हें दोबारा रोके रख सकते हैं। एक तरह से, राज्यपाल की इस कार्रवाई ने संविधान में मौजूद उस अलोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था-विरोधी (एंटी-फेडरल) विशेषता को उजागर करने में मदद की है जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित विधेयकों को खारिज करने की बेलगाम शक्ति प्रदान करती है। राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ी मौजूदा कार्यवाहियों के दौरान अपनी टिप्पणियों में, सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा है कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं हैं। शीर्ष अदालत को इस बात का परीक्षण करना चाहिए कि क्या विधेयकों पर राज्यपाल के पास वीटो का होना उस संसदीय लोकतंत्र का उल्लंघन करता है जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। पक्षपातपूर्ण शरारतों की संभावना समाप्त करने के लिए एक पुख्ता फैसले की जरूरत है।

राज्य सरकारें बनाम राज्यपाल : वर्तमान मुद्दे

आरोप क्या हैं?

तमिलनाडु ने राज्यपाल आरएन रवि पर विधेयकों पर न तो सहमति देकर और न ही उन्हें लौटाकर,केवल खुद के पास दबाकर बैठे रहकर नागरिकों के जनादेश के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने खुद को एक ष्राजनीतिक प्रतिद्वंद्वीष् के रूप में स्थापित किया है, जिसने महीनों तक विधेयकों पर बैठकर ष्संवैधानिक गतिरोधष् पैदा किया है। केरल ने अपनी अलग याचिका में कहा कि उसकी विधानसभा द्वारा पारित आठ प्रस्तावित कानून राज्यपाल के पास महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से लंबित हैं। आठ में से तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से राज्यपाल के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

पंजाब ने शिकायत की कि उसके सात विधेयक जून से राज्यपाल के पास अटके हुए हैं, जिससे प्रशासन के ठप होने का खतरा पैदा हो गया है।

तेलंगाना के राज्यपाल द्वारा सितंबर 2022 से लंबित विधेयकों को मंजूरी दिलवाने के लिए राज्य सरकार को अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे राज्य की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे को यह प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि विपक्षी शासित राज्यों में विधानसभाएं राज्यपालों की दया पर निर्भर हैं।

सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया:

संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल के समक्ष उन विकल्पों को शामिल करता है जब विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद के पहले प्रावधान में कहा गया है कि राज्यपाल या तो विधेयक पर अपनी सहमति की घोषणा कर सकते हैं या यदि यह धन विधेयक नहीं है तो सहमति को रोक सकते हैं या कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि विधेयक राष्ट्रपति की शक्ति का अपमान करता है या उसे खतरे में डालता है।

यदि राज्यपाल सहमति रोकना चुनते हैं, तो उन्हें विधेयक को ष्जितनी जल्दी हो सकेष् एक संदेश के साथ वापस करना चाहिए जिसमें विधान सभा को प्रस्तावित कानून या किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करने या संशोधन का सुझाव देने का अनुरोध करना चाहिए। विधानसभा विधेयक पर पुनर्विचार करेगी और पारित करेगी और इस बार राज्यपाल को अपनी सहमति नहीं रोकनी चाहिए। संक्षेप में, राज्य का संवैधानिक प्रमुख जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सुविचारित निर्णय के आगे झुकेगा।

कब तक लौटाए जाने चाहिए बिल?

अनुच्छेद 200 का पहला प्रावधान कहता है कि इसे 'यथाशीघ्र' होना चाहिए। इस वाक्यांश का वास्तव में क्या अर्थ है, इस पर संविधान मौन है। सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में दुर्गा पद घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में अपने फैसले में प्रावधान में 'जितनी जल्दी हो सके' की व्याख्या ष्परिहार्य देरी के बिना जितनी जल्दी हो सके' के रूप में की है। न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) रोहिंटन एफ. नरीमन ने कीशम मेघा चंद्र सिंह मामले में अपने 2020 के फैसले में कहा कि 'उचित समय' का मतलब तीन महीने होगा।

राज्यों ने अदालत से प्रावधान में वाक्यांश की व्याख्या करने और एक समय सीमा तय करने का आग्रह किया है जिसके द्वारा राज्यपालों को एक विधेयक पर सहमति देनी चाहिए या वापस करना चाहिए। केंद्र-राज्य संबंधों पर 1988 की सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में विधेयक का मसौदा तैयार करते समय और इसके निपटान के लिए समय सीमा तय करते समय राज्यपाल के साथ परामर्श करने का सुझाव दिया गया था।

केरल ने सुप्रीम कोर्ट से 1962 के पुरूषोत्तम नंबूदिरी बनाम केरल राज्य मामले में पांच जजों की बेंच के फैसले की समीक्षा के लिए सात जजों की बेंच बनाने के लिए कहा है, जिसमें यह माना गया था कि अनुच्छेद 200 में ''उस समय सीमा का प्रावधान नहीं है जिसके भीतर राज्यपाल.. उनकी सहमति के लिए उन्हें भेजे गए विधेयक पर निर्णय लेना चाहिए।" राज्य ने कहा कि, उस समय, अदालत ने राज्यपालों द्वारा अनिश्चित काल के लिए विधेयकों को रोके रखने की संभावना पर विचार नहीं किया।

प्रारंभिक परीक्षा संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन-सी विवेकाधीन शक्तियाँ किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं?

1. राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Que. Which of the following discretionary powers have been given to the Governor of a state?

1. Sending report to the President of India for imposing President's rule.
2. Appointment of ministers.
3. Reserving some bills passed by the State Legislature for the consideration of the President of India.
4. Making rules for the functioning of the state government.

Select the correct answer using the code given below:

(a) Only 1 and 2
(b) Only 1 and 3
(c) Only 2, 3 and 4
(d) 1, 2, 3 and 4

उत्तर : B

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की शक्तियों और वर्तमान में उनके द्वारा प्रयुक्त की जा रही शक्तियों में मौजूद विरोधाभास की चर्चा कीजिये।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की शक्तियों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में वर्तमान में राज्यपालों के द्वारा राज्यों में प्रयुक्त की जा रही शक्तियों की चर्चा कीजिए तथा इससे उत्पन्न विरोधाभासों की भी चर्चा करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।